



## केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
135 12 - 3 - 2016	12 - 3 - 2016	12 - 3 - 2016	K2

नकल आदेश

उपरिलिखित सदर - झेनडा

वार्ड सेक्टर 199 घटा 143 फॉर्म आदि

जॉपा - कुष्ठगुद पालांडेली जिला - झेनडा

गौ ओडा जानदार संट्रायर वग्ग रोड

आदेश दिन 10 - 03 - 2016 को

आदेश दिन 10 - 03 - 2016 को दम्पत्ति द्वारा मे

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर - जैनपुर  
 वाट सख्ता - १७ धारा - १४३ ज०टि०अधि०  
 मौजा - कलरुदीनपुर परगना - हवेली  
 मा आशा ज्ञानदीप संस्थान अनाम सरकार

#### निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही मा आशा ज्ञानदीप संस्थान कुछमुछ नमस्सण्ड जैनपुर अध्यल हवलदार यादव पुत्र स्व० राजबहादुर यादव निवासी गाम - धालेमऊ परगना - हवेली जैनपुर ने सरकार को बतौर विषेशी व्यापारी हुए मौजा - कुछमुछ परगना - हवेली रिधत आराजी सख्ता - १८३, १९० रक्षा ०८३१ ह० को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थी आदाए घोषित करने हेतु धारा - १४३ ज०टि०अधि० के अन्तर्गत दाखिल किया। पर्यान - पत्र की जीव आख्या तहसीलदार दिनांक १०.०३.२०१६ को पैने पड़ावली एवं जाच आख्या तहसीलदार दिनांक १०.०३.२०१६ को अधी प्रकार से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धरण छतीनी १४२२ से १४२७ कसली के खाता रा० ०००३९ के आ०स० १८३, १९० रक्षा ०८३१ ह० पर बतौर संकलनीय भूमिधर दर्ज है।

तहसीलदार ने अपनी आख्या से स्पष्ट किया है कि आदाए का उपयोग कृषि कार्य से न होकर आदाए के रूप मे इँहा है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रयोगित किये जाने की स्थूति भी गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है।

#### आदेश

अतः आख्या तहसीलदार दिनांक १०.०३.२०१६ की पुष्टि की जाती है और मौजा - कुछमुछ परगना - हवेली, जिला - जैनपुर रिधत अराजी सख्ता १८३, १९० रक्षा ०८३१ ह० को कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु द्योजनार्थी प्रयोगित किया जाता है। याद अमलदारमद पड़ावली अधीलखागार मे संधित हो।

दिनांक - १०.०३.२०१६



आज का निर्णय खुले न्यायालय से हस्ताक्षित दिनांकित ऐय घोषित सदर - जैनपुर

न्यायालय

मित्रकालीन - १२  
कुलकुल्यन्त्र संभाल ३००

प्रधान

उपजिलाधिकारी  
सदर - जैनपुर  
१२/३/२०१६

